



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 481 राँची, सोमवार,

14 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

26 जून, 2023

संख्या-3/ प्रोन्नति-02-01/2023 का. 3647--विभागीय संकल्प संख्या 2013 दिनांक 10.04. 2023 द्वारा राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में संकल्प की कंडिका-6 में निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(i) कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति में लगायी गयी रोक के फलस्वरूप राज्य के सेवा/संवर्ग में सेवानिवृत्त वैसे पदाधिकारीगण जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य (संबंधित सेवाशर्त नियमावली में प्रावधानित सभी शर्तों यथा वरीयता, आरक्षण उपबंध, कालावधि आदि को पूर्ण करते हों) थे एवं प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाले पद की तत्समय उपलब्धता थी, तो उन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रोन्नति हेतु योग्य होने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से सभी आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान किया जाय ।

(ii) यह आदेश कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा प्रोन्नति में लगायी गयी रोक की तिथि (24.12.2020) से इस आदेश के निर्गत होने के मध्य सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के संबंध में लागू होगी।

2. उक्त संकल्प के आलोक में दिनांक 24.12.2020 से 10.04.2023 के मध्य झारखण्ड प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त वैसे पदाधिकारी जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य हैं उनकी वरीयता क्रमानुसार अपर सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया।

3. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव कोटि में 15 पद में तिथिवार रिक्ति की स्थिति निम्नवत है:-

दिनांक	अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०
12.05.2021	3	2	1
01.07.2021	4	2	1
30.07.2022	9	4	1

4. विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सक्षम सतर के अनुमोदनोपरांत झारखण्ड प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त निम्नांकित पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) से अपर सचिव कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) में स्तम्भ-5 में अंकित तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से सभी आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है-

क्र०	पदाधिकारी का नाम / गृह जिला / कोटि क्रमांक / आरक्षण	जन्म तिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि	संयुक्त सचिव कोटि में प्रोन्नति की तिथि	प्रोन्नति हेतु योग्य होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री अरविन्द कुमार मिश्र, 623/03, गोड्डा	<u>01.01.1962</u> <u>31.12.2021</u>	02.11.2015	12.05.2021
2	श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह 625/03, अररिया	<u>05.01.1962</u> <u>31.01.2022</u>	02.11.2015	12.05.2021
3	श्री सुधीर कुमार रंजन 633/03, हजारीबाग	<u>05.01.1962</u> <u>31.01.2022</u>	02.11.2015	12.05.2021
4	श्री दिलीप कुमार, 638/03, नवादा	<u>05.10.1961</u> <u>31.10.2021</u>	27.07.2018	12.05.2021
5	श्री प्रदीप प्रसाद, 664/03, देवघर	<u>02.09.1962</u> <u>30.09.2022</u>	17.11.2020	17.11.2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ब्रह्मदेव मोदी),

सरकार के उप सचिव।
